# मीडिया और स्टिंग ऑपरेशन : जरूरत निष्पक्षता की

*शीतल प्रसाद महेन्द्रा

इसे आप स्टिंग ऑपरेशन कहें या कोई और नाम दें किंतु इसका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। छिपकर किसी के चित्र लेना या किसी काल्पनिक कथानक को आधार बनाकर खुद की पहचान छुपाकर कैमरे में डायलाग कैद करना पत्रकारिता की विधा नहीं है। जैसा कि दिल्ली मैं एक स्कूल अध्यापिका के साथ हुआ यह खोजी पत्रकारिता भी नहीं हैं बल्कि सनसनी फैला करके स्वयं को चर्चित बनाने का रास्ता है। इसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने इजाद किया है बल्कि यह तो टीआरपी बढ़ाने का एक फंडा मात्र है । किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल देना या अजीब किस्म का अभिनय करके किसी को भ्रमित करना पत्रकारिता नहीं हो सकती । यदि वास्तव में कोई सदाचारी है और पत्रकार के पास प्रमाण है तो वह अपने प्रमाणों को आधार बनाकर खबर बनाये न कि फर्जी व्यापारी बनकर या फर्जी महिला प्रस्तुत करके फोटोग्राफी के माध्यम से सनसनी फैलाये। इससे पत्रकारिता का क्षरण होगा। पत्रकारिता की साख कम होगी, उसकी विश्वसनीयता घटेगी।

जिस तरह राजनीति लोकतंत्र से दूर हो गयी। उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है ठीक उसी तरह पत्रकारिता से भी लोकतांत्रिक मूल्य गायब हो रहे है। जब राजनीति या पत्रकारिता सामान्य आदमी के हितों का अतिक्रमण करती है तब लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा नहीं होती किंतु जब उनके निजी या व्यावसायिक हितों पर आंच आती है तब लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा पत्रकारिता की गरिमा याद आती है।

ऐसी खुफिया जांच करने और कानून का पालन करवाने के लिए कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी अखबार या टीवी चैनल को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे समाज की ऐजेंसियाँ या माध्यम तो हो सकते हैं राज्य की ऐजेंसियाँ नहीं हो सकते । राज्य की ऐजेंसी होने पर उन पर जो विभागीय और कानूनी अनुशासन लागू होता है वह किसी भी अखबार या टीवी चैनल पर लागू नहीं हो सकता न वह उन्हें स्वीकार होना चाहिए । राज्य की ऐसी ऐजेंसियों के साध्य और साधान वे नहीं हो सकते जो कि खुले समाज के स्वतंत्र उपकरणों के नाते अखबारों और टीवी चैनलों के होते हैं।

यह भी होता है कि इस तरह की जानकारी प्रकाशित करने के बावजूद खुफिया ऐजेंसियाँ अपना काम न करें। हो सकता है कि पैसे और औरत के लालच में जिस तरह अफसरों और मंत्रियों को फसाया जाता है उसी तरह खुफिया और जाँच ऐजेंसियों के लोगों को भी फँसा लिया जाए और उन्हें अपना काम करने के नाकाबिल कर दिया जाए। तब भी क्या अखबार और टीवी चैनल अपनी भूमिका की सीमाओं और मर्यादाओं का पालन करें और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने दें ? तब क्या उन्हें भ्रष्टाचार करवाने वालों के तौर–तरीकों का इस्तेमाल करके भंडाफोड़ नहीं करना चाहिए ताकि नागरिक समाज की चेतना को झकझोरा जा सके और सरकार को कार्रवाही के लिए बाध्य किया जा सके। ऐसे एक बार के अपवाद को तो अनिवार्य और लोकहित में जरूरी भी माना जा सकता है। यहाँ कैसे भी साधनों से साध्य की प्राप्ति को उचित ठहराया जा सकता है।

दरअसल स्टिंग ऑपरेशन पर हुई प्रतिकूल प्रतिक्रिया का एक दूरगामी कारण भी है। सेटेलाइट टीवी और उसके गर्भ से निकली टीवी पत्रकारिता ने व्यावसायिक रूप से कदम तो जमा लिये हैं, लेकिन अभी तक नागरिक, समाज, राजनीतिक दायरे और व्यापक सार्वजनिक जीवन ने उनकी अभिव्यक्ति और संरचनाओं को आत्मसात नहीं किया है। टीवी जैसा सशक्त माध्यम राजनेताओं और मशहूर हस्तियों को प्रचार पाने की खातिर अपना दोहन करने का प्रलोभन तो देता है, लेकिन जब यह माध्यम इन लोगों के जीवन पर किसी तरह से आलोचनात्मक निगाह डालता है, तो ये लोग बोखला जाते हैं। हर समाचार माध्यम अपने प्रभाव में दोधारा होता है। एक तरफ यह व्यवस्था के काम आता है, दूसरी तरफ वह व्यवस्था की आलोचना के माध्यम से अपना हस्तक्षेप भी करता है। स्टिंग ऑपरेशन ने साबित किया है कि जो अनियमितता है, लेकिन जिसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसे सामने लाकर और रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है।

स्टिंग ऑपरेशन को वैधता मिलने में कुछ तकनीकी दिक्कतें भी हैं। जैसे, हमारी अदालतें ऑडियों–विजुअल गवाही को प्रामाणिक नहीं मानती । इस तरह के साक्ष्य को कानूनी वैधता मिलते ही स्टिंग आपरेशन का स्टिंग भीतर तक मार करने वाला हो जाएगा। स्टिंग में असली स्टिंग तभी आएगा। इस सीमा के बावजूद जब तक टीवी पत्रकारिता रहेगी तब तक दुस्साहसी पत्रकार उनके चैनल किसी न किसी स्टिंग ऑपरेशन के साथ सामने आते रहेंगें। समाज, राजनीति और कानून को उनके साथ कोई न कोई सकारात्मक तालमेल बनाना ही पड़ेगा।

स्टिंग ऑपरेशन से लोकतांत्रिक संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकता है। स्टिंग ऑपरेशन इसी प्रकार चलना चाहिये लेकिन हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि इनका गलत इस्तेमाल न किया जाए । इन आपरेशनों के जरिये जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों और नेताओं की असलियत को जनता के सामने लाया जा सकता

हैं। इस तरह के आपरेशन किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी पर नहीं करना चाहिए । हमें किसी की भी निजी जिंदगी में झांकने का हक नहीं है। यदि तरूण तेजपाल रक्षा सौदों पर स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं तो वह जायज है क्योंकि रक्षा हमारा संवेदनशील मुद्दा है। इससे पहले भी रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार होने की बात आती रही है। इस तरह से जनता को सच मालूम चलता है। लेकिन जब कास्टिंग काऊच के मसले पर इस तरह के अभियान चलाते हैं तो इसमें अभियान कम और अश्लीलता ज्यादा झलकती है। इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। अधिकतर नेता और अधिकारी अपने को पाक साफ बताते हैं। इस अभियान में ठोस सबूत होने के कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस प्रकार से अगर यह कहें इन ऑपरेशनों से भ्रष्ट लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ है तो यह सही होगा । पहले भ्रष्ट लोग बेखौफ होकर काम करते थे लेकिन आज वे डरते हैं कि कहीं कोई कैमरा उनको कैच तो नहीं कर रहा है। अगर हम इतना भी हासिल कर लेते हैं तो यह इन आपरेशनों की सफलता ही कही जाएगी। यह एक सुखद संकेत है कि मीडिया अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद इस तरह के अभियानों को अंजाम दे रहा है। इस मसले पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती है जबकि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का तरीका इतना जटिल कर दिया जाता है कि वे बच निकलने में सफल हो जाते हैं।

स्टिंग ऑपरेशनों का मकसद खबर को सनसनी बनाकर पेश करना नहीं होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठान विशेष में लोगों के विश्वास को खत्म करना भी उसका लक्ष्य नहीं हो सकता। खोजी पत्रकारिता हमें किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देती जब तक कि उससे सामाजिक नैतिकता के स्तंभों के हिल जाने का खतरा न पैदा हो गया हो । शक्ति कपूर और अमन वर्मा के मामले में जो कुछ हुआ उसे सही ठहराने का हमारे पास कोई नैतिक आधार नहीं है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन लोगों के विश्वास को कम करते हैं। बजाय कांस्टिग काउच के मीडिया अगर यह सामने लाने की कोशिश करता कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग किस तरह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को प्रभावित कर रहा है तो अधिक लाभ होता ।

पत्रकारिता आम लोगों की जिंदगी से दूर हो रही है। ज्यादतर पत्रकार आम जनता की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, कानून–व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, भ्रष्टाचार को उजागर करने की जगह अपना ज्यादा समय राजनीति को दे रहे हैं। देश में राजनीति के अलावा भी अंदर ही अंदर ऐसा बहुत कुछ घटता रहता है जिसे सतह पर लाने की आवश्यकता है। इस काम में हम पूरी तरह असफल साबित हो रहे हैं। देश में खोजी पत्रकारिता के शुरूआती दौर में काफी कुछ सकारात्मक काम हुआ पर बदलते समय के साथ अब पत्रकार ही नहीं बल्कि पत्रकारिता की नियत पर इससे सवाल उठ खड़ें हुए हैं। इस तरह की पत्रकारिता से लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पत्रकार के रूप में कई के अंदर यह भाव आ गया है कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

प्रख्यात समालोचक कमलेश्वर कहते हैं कि, 'इस तरह के स्टिंग आपरेशन' को निष्पक्ष मानता हूँ। यह पहले भी होता रहा है। जब जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उस समय रामनाथ गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस द्वारा यह अभियान चलाया गया। अभियान एक तरह का राजनीतिक स्टिंग ऑपरेशन था। रही बात इसकी नीयत की तो मेरी नजर में जिस पत्रकारिता में किसी भी अनैतिक, असामाजिक और मनुष्य विरोधी तत्वों का पर्दाफाश किया जाए, मेरी परिभाषा में स्टिंग ऑपरेशन है।'

लोकतंत्र में सामाजिक सुधार, न्याय और अच्छी बातें बहुत धीमी गति से घटित होती हैं। इस तरह के स्टिंग आपरेशन का जनमानस पर बहुत गहरा असर पड़ता है क्योंकि जनता भ्रष्ट स्थितियों से मुक्त होना चाहती है। जनता को पांच वर्ष बाद अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग का अवसर मतदान के रूप में मिलता है, लेकिन उसके वोट से वे कार्य कभी संपन्न नहीं हो पाते जिनके लिए उसने वोट किया था। परिणामस्वरूप पत्रकारिता उसके विचारों और लोकतांत्रिक इच्छाओं के पेश करने का सशक्त माध्यम बन जाती है और अब तो प्रिंट मीडिया के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सत्य को सामने लाने का एक नया आयाम खोल दिया है।

निजी जिंदगी को हानि पहुंचाने वाला ये तर्क कारगर नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवन शैली पर गहरी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें शालीनता से नजर अंदाज किया जा सकता है। जैसे कि तत्कालिन रक्षा मंत्री के साथ उन्हीं की पार्टी की अध्यक्ष (जया जेटली) का नाम आया तो जनता ने उनके व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में छानबीन नहीं की क्योंकि वह नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन रक्षा सौदों से संबंधित जया जेटली के बयानों को गंभीरता से लिया जाए। बंगारू लक्ष्मण को ही ले लीजिए, उन्हें लेकर जो स्टिंग आपरेशन हुआ वह पार्टी में उनके महत्व के कारण हुआ, उनसे किसी की व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी ।

इन दिनों मीडिया में स्टिंग आपरेशन की चर्चा बढ़ती जा रही है। आये दिन मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशनों के नाम बहुत कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन स्टिंग ऑपरेशन को लेकर एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। स्टिंग पत्रकारिता का लोगों की निजी जिंदगी से कोई लेना–देना नहीं होना चाहिए। इसका सरोकार सार्वजनिक व्यवस्था की सड़ांध से होना चाहिए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पैसों के दुरूपयोग के खिलाफ होना चाहिए।

लोकतंत्र के मूल में यह भाव निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी होती है और इसमें किसी को ताक–झांक नहीं करना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा होता है, तब तक किसी को भी, मीडिया को भी उसकी निजी जिंदगी में दखलांदाजी नहीं करनी चाहिए।

मीडिया ;डमकपंद्ध अँग्रेजी शब्द डमकपनउ का बहुवचन है जिसका अर्थ है समाचार–संचार के साधन। मूलतः अँग्रेजी शब्द होते हुए भी इसे हिन्दी में भी स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इसका हिन्दी रूपान्तर काफी लम्बा हो जाता है मीडिया एक व्यापक ;ब्वउचतमीमदेपअमद्ध पारिभाषिक शब्द है जिसमें समाचार–संचार के अनेकों साधन सम्मिलित हैं। पहले इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और रेडियों ही आते थे, किंतु अब वैज्ञानिक उन्नति के साथ–साथ यह शब्द और व्यापक हो गया है और अब इसके अन्तर्गत समाचार पत्र–पत्रिकाएँ, रेडियों, टेलीविजन और इन्टरनेट भी आते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रिन्ट मीडिया ;च्तपदज डमकपंद्ध अर्थात् प्रेस में छपी सामग्री तथा अन्य समाचार–संचार के साधनों को इलैक्ट्रॅानिक मीडिया ;म्समबजतवदपब डमकपंद्ध कहते हैं। प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों ने मिलकर समाचार–संचार के क्षेत्र में एक क्रान्ति सी ला दी है। आज घर बैठे हम अपने टेलीविजन का बटन घुमाकर नेपाल नरेश का राज्यारोहण या कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों में लड़ते हुए जाँबाज भारतीय सैनिकों को देख सकते हैं।

हमारा देश लोकतान्त्रिक शासन–प्रणाली वाला देश है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत माता परतन्त्रता की बेडियों में जकड़ी थी। भारतवासी अंग्रेजी शासन के अधीन शोषित, दलित व उत्साहहीन थे। समाचार–संचार माध्यमों ने ही भारतीय जनमानस में अपने राजनीतिक अधिकारों की माँग का उत्साह भर दिया। सन् 1976 ई0 में अमेरिका के निवासियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध स्वाधीनता युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की भीषण पराजय हुई तथा सन् 1789 ई0 में विश्व के मानचित्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नये लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली वाले देश की स्थापना हुई। अमेरिका की शानदार क्रान्ति ने ब्रिटिश उपनिवेशों की जनता में स्वतन्त्रता और अधिकार प्राप्ति की भावना की लहर उत्पन्न कर दी। समाचार–संचार माध्यमों के द्वारा अमेरिकी क्रान्ति की घटना अन्य देशों के साथ फ्रांस में भी पहुँची तथा समाचार–संचार माध्यमों के द्वारा ही फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस के महान दार्शनिकों व राजनीतिक विचारकों जैसे रूसी, माण्टेस्क्यू, वाल्टेयर तथा दिदरों व क्वेसेन जैसे लेखकों के विचारों को समझा और सन् 1789 ई0 में क्रान्ति का बिगुल बजा दिया। इस क्रान्ति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अन्त कर दिया। इस क्रान्ति ने मानव जाति को स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का नारा दिया और लोकतन्त्रीय व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान किया। इन क्रान्तियों और जन–भावनाओं को समाचार संचार माध्यमों ने विभिन्न देशों में प्रसारित किया इसी प्रकार सन् 1971 की रूसी क्रान्ति व पाश्चात्य जगत की अन्य राजनीतिक विचारों व गतिविधियों को समाचार–संचार माध्यमों ने हमारे देश में भी प्रसारित किया और हमारे देशवासी भी सदियों से चली आ रही परतन्त्रता से मुक्त होने के लिए उद्यत हो गये । समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से प्रबुद्ध वर्ग ने सोई हुई भारतीय मानसिकता को जगाया। युवा वर्ग उद्वेलित हो उठा और स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अगणित देशभक्त कृत संकल्प हो गये । यदि उनका उत्साह कभी ठंडा पड़ने लगता तो समाचार पत्र–पत्रिकाएँ उनमें नया जीवन व नया उत्साह डाल देते । अन्ततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और इसके बाद यहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इस प्रकार इसकी हमारे देश की स्वतन्त्रता व लोकतन्त्र की स्थापना में समाचार–संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

यह मीडिया की ही भूमिका थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल आदि साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेशों ;ब्वसवदपमेद्ध में स्वतन्त्रता की मांग ने जोर पकड़ा और धीरे–धीरे सारे परतन्त्र उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये और वहाँ लोकतान्त्रिक सरकारों की स्थापना हो सकी ।

लोकतन्त्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मीडिया की अहम् भूमिका है। आधुनिक काल में मीडिया मानव मूल्यों की गरिमा बनाए रखने तथा मनुष्य के राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए इंग्लैण्ड के महान दार्शनिक व वक्ता एडमण्ड बर्क ने इसे राष्ट्र का चौथा स्तम्भ कहा। बर्क महोदय के कथन का अभिप्राय था कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के तीन स्तम्भ हाउस ऑफ कामन्स, हाउस ऑफ लार्ड्स और स्प्रिचुअल लार्ड्स के बाद चौथा स्थान मीडिया का था। हम अपने भारतीय लोकतन्त्र के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि हमारी सरकार के तीन स्तम्भ–विध ाायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा स्थान मीडिया का है। फ्रांस के महान योद्धा और तानाशाह नैपोलियन बोनापार्ट का मत था कि अत्याचार अन्याय और अदक्षता (incompetence) के खिलाफ मीडिया एक सशक्त शस्त्र हैं।

यद्यपि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ''लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन होता हैं '' फिर भी चूँकि अधिकार बड़ा ही मादक व सारहीन होता है अतः सत्तासीन व्यक्ति सत्ता के मद में थोड़ा विचलित हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिख है– ''प्रभुतापाइ काह मद नाही'' अतः सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय व सशक्त मीडिया की आवश्यकता अपरिहार्य है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मीडिया सरकार की नीतियों का विश्लेषण, समालोचना, व आलोचना करते हुए इस पर नियंत्रण बनाए रखती है। मीडिया की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थामस जैफर्सन ने कहा था– ''यदि हमें सरकार युक्त किन्तु प्रेस विहीन राष्ट्र और प्रेस युक्त किन्तु सरकार विहीन राष्ट्र में से एक को चुनना हो तो मैं बाद वाली व्यवस्था का चयन करूँगा। अर्थात् जैफरसन महोदय का विचार था कि चाहे किसी राष्ट्र में सरकार हो या न हो परन्तु प्रेस अवश्य हो जिससे जनमानस को सही दिशा दी जा सके।

मीडिया शासन के सभी अंगों की गतिविधियों से जनता को अवगत कराती हैं, उसमें जागरूकता लाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अभिरूचि पैदा करती है। यह संसद व कार्यपालिका को जनता की रूचियों व आवश्यकताओं से अवगत कराती है, लोकतांन्त्रिक शासन प्रणाली जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर जीवित नहीं रह सकती। मीडिया जनता की इच्छाओं व आकांक्षाओं को संसद तक पहुँचाती हैं जिसके आधार पर तमाम नीतिगत मुद्दे संसद में तय होते हैं। कभी–कभी सरकार को स्रोतों से यह नहीं ज्ञात हो पाता है कि कहाँ–कहाँ उसके शासन में अन्याय व अत्याचार हो रहा है किन्तु मीडिया शासन को ऐसी खामियों से अवगत कराती रहती हैं। उदाहरण के लिए सन् सत्तर के दशक में बिहार के भागलपुर जेल के कैदियों की जेल अधिकारियों द्वारा आँख का फोड़ा जाना जो कि बड़ा ही दर्दनाक, जघन्य व अमानवीय कुकृत्य था किन्तु मीडिया ने इस कुकृत्य को जग–जाहिर कर दिया तब जाकर सरकार की आँख खुली। उड़ीसा के काला हांडी जिले में बार–बार पड़ने वाला अकाल और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली भुखमरी जनित मौतों का भी पर्दाफाश मीडिया ही करती है। इससे हमारी शासन व्यवस्था की खामियाँ प्रकाश में आती हैं कि जिस देश के गोदामों में अनाज के विशाल भण्डार सड़ रहे हों उसी देश के एक कोने में गरीब जनता भुखमरी का शिकार हो रही हो ।

मीडिया ने सदैव लोकतन्त्र की रक्षा करने का प्रयास किया है। हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दीर्घकाल तक एक ही राजनीतिक दल व एक ही परिवार का शासन रहा। सन् 1975 में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय के कारण जब इस परिवार की कुर्सी हिलने लगी तो आपात काल की घोषणा कर दी गयी । अनगिनत मुखर नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, तत्कालीन सरकार ने अंग्रेजों जैसा दमनचक्र चलाया। सन् 1975 से 1977 तक करीब दो वर्ष के आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ अत्याचार किए जाते रहे। मीडिया के सैकड़ों लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। कुछ अखवार वालों ने तो डर के मारे सरकार के सामने घुटने टेक दिए किन्तु कुछ अखवार सरकार के इस अत्याचार के विरूद्ध लिखते रहे और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन शासक दल पराजित हुए और जनतादल की सरकार बनी, किन्तु आपसी खींचा–तानी व पदलोलुपता के कारण जब जनता दल के लोग आपस में सामंजस्य न स्थापित कर सके तो उनकी अक्षमता को भी मीडिया ने जनमानस तक पहुँचाया और उसके विरूद्ध भी जनमत तैयार किया जिसके परिणाम स्वरूप जनता दल की सरकार गिरने के बाद जब फिर चुनाव हुआ तो जनता दल को बहुमत नहीं मिला। इसी प्रकार बोफोर्स तोप सौदे की दलाली को लेकर मीडिया ने स्वर्गीय राजीव गाँध ी सरकार के खिलाफ सशक्त जनमत तैयार किया और परिणाम स्वरूप वे हार गये ।

देश के किसी हिस्सें में आयी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, तूफान, भूकम्प आदि के दौरान सरकार उचित सहायता पहुँचा रही है कि नहीं, मीडिया की पैनी निगाहें इस पर भी ध्यान रखती हैं, यदि कहीं कोई खामी है तो वे उसे उजागर कर सरकार को तुरन्त सचेत कर देती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी मीडिया हर देशवासी तक पहुँचाती है जिसे जानकर देशवासी अपने आपत्तिग्रस्त भाइयों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। गुजरात का भूकम्प हो या सागर की सुनामी सभी के दौरान वहाँ की भीषण तबाही का समाचार मीडिया ने त्वरित गति से न केवल अपने देश वरन् दुनिया के हर देशों में पहुँचा दिया जिसके परिणाम स्वरूप अपने देशवासियों ने कपड़े, कम्बल व नकद राशि शीघ्रता से इकट्ठा करके सहायता सामग्रियों से लदी ट्रकें लेकर चल पड़े। आपत्ति की ऐसी घड़ी में शीघ्र ही सहायता सामग्रियों से लदे वायुयान भी दूसरे देशों से आकर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में समर्पित हो गये ।

मीडिया लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बहुत से सुधार ला सकती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले ट्रक चालकों से जबरन वसूली करते थे। इस अन्याय के प्रति मीडिया ने रूपया ऐंठते हुए पुलिस वालों के फोटो तक छापे और जनमानस के आक्रोश से उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया, जिसके परिणाम स्वरूप कड़े निर्देश देकर इस जबरन वसूली को बन्द करने का स्तुत्य प्रयास किया। समाज में होने वाले अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ जब मीडिया जनमत तैयार करती है तो सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि जनता की अदालत से ही चुनकर आते है और उन्हें अगले चुनाव में भी विजय प्राप्त करने की लालसा रहती है अतः वे शीघ्र ही उचित कदम उठाकर अन्याय रोकने का प्रयास करते है।

मीडिया का एक अंग तहलका डाट काम ने दिखाया कि किस प्रकार थल सेना के सिविलियन अधिकारी से लेकर लेटीनेन्ट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक मिलिटरी सौदों में घूस लेने के लिए उद्यत रहते हैं अर्थात् किस तरह वे रक्षक से भक्षक बन जाते हैं तो वर्ष के उत्तरार्ध में मीडिया ने यह दिखाया कि किस प्रकार वायुसेना के सार्जेन्ट, विंग कमाण्डर और एअर वाइस मार्शल तक देश की गोपनीयता को दुश्मनों के हाथ रूपयों के लालच में बेच कर देशद्रोह जैसा अपराध करते हैं। मातृभूमि का सौदा करने वाले इन देश–द्रोहियों को जो भी सजा दी जाय वह कम पड़ेगी।

मीडिया ने ही यह तथ्य प्रकाशित किया कि किस तरह बिहार में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनेता तक भ्रष्टाचार में आकंठ निमग्न हैं, जहाँ उस फर्म ने दवा और चारा सप्लाई किया जो अस्तित्व में ही नहीं है और उस ट्रक ने इस चारे को ढोया जो अस्तित्व में ही नहीं है। मीडिया से ही हमें पता चलता है कि किस तरह यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के अधिकारियों ने किसी कम्पनी विशेष को फायदा दिलवाने के लिए जनता के द्वारा विश्वास पर जमा किए गये रूपयों से शेयर खरीद कर जनता का पैसा डुबा दिया। अब जनता सचेत हो गयी और युनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से उसका विश्वास उठ गया। इस प्रकार लोकतन्त्र में स्वतन्त्र मीडिया जनता को सदैव जागरूक करती रहती है।

उपरोक्त तथ्यों के अलावा मीडिया कई क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करता है जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, जैव विविधता आदि के बारे में जनता को जानकारी देता रहता है। खेती–बाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकार द्वारा चलायी गयी कल्याणकारी योजनाएँ आदि के बारे में भी मीडिया ताजा जानकारी देकर लोगों को लाभान्वित करती रहती है। दूरदर्शन के कई चैनलों पर लगातार विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। किसानों को दूरदर्शन पर वैज्ञानिक तरीके से अन्नोत्पादन, पशुपालन व बागवानी सम्बन्धी जानकारी दी जाती है तो दूसरी तरफ महिलाओं को व्यंजन बनाने से लेकर गर्भावस्था में रहन–सहन और शिशुपालन तक की शिक्षा दी जाती है। मीडिया शब्दों के माध्यम से (चाहे वे शब्द प्रिन्ट मीडिया द्वारा छापे गये हों या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा बोले गये हैं।) लोगों को विभिन्न तथ्यों से अवगत कराकर उन्हें सही निर्णय की क्षमता प्रदान करती है शब्दों के प्रभुत्व की प्रशंसा करते हुए इलाहाबाद आकाशवाणी के पूर्व निदेशक श्री रामप्रकाश ने कहा–

'' यदि सत्य ही सही समय पर सही लोगों के बीच सही तरीके से व्यक्त किया जाय तो शब्द में सृजन की शक्ति आ जाती है।''

## प्रिन्ट मीडिया बनाम इलेक्ट्रानिक मीडिया

(i) प्रिन्ट मीडिया का मुख्य काम है सूचना देना, जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया सूचना देने के अतिरिक्त शिक्षण भी देती है, जैसे भोजन आरम्भ करने के पहले हाथ कैसे धोएँ, अमुक भोजन कैसे बनाएँ, अमुक व्यायाम कैसे करें या नवजात शिशु को दूध कैसे पिलाएँ आदि।

(ii) प्रिन्ट मीडिया लोगों को संस्कारित व ज्ञानवान बनाती है और मनोरंजन कम कराती है, जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया मनोरंजन पर ज्यादा जोर देती है और तमाम अश्लील व अमर्यादित प्रसारणों के माध्यम से अपसंस्कृति फैलाती है।

(iii) प्रिन्ट मीडिया का पार्श्व प्रभाव ";पकम म्मिबजद्ध नगण्य है जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया का पार्श्व प्रभाव खराब है क्योंकि यह किशोर मन में तमाम बुरी भावनाओं को उभार देती हैं।

(iv) प्रिन्ट मीडिया में विदेशी कम्पनियों को भाग नहीं लेने दिया गया है जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया में विदेशी कम्पनियाँ भी घुसी हैं।

(v) प्रिन्ट मीडिया में इच्छा न होने पर विज्ञापनों को छोड़कर सूचना परक व ज्ञानपरक सामग्री पर ही समय दिया जा सकता है जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन भी देखना बाध्यता हैं।

(v) इलेक्ट्रानिक मीडिया से हम कोई भी समाचार क्षण भर के लिए देख सकते हैं, किन्तु प्रिन्ट मीडिया में धारित समाचार को हम दीर्घकाल तक संजोकर रख सकते हैं।

## तहलका प्रकरण : तथ्य और निष्कर्ष

संगठन : तहलका डाट काम,

स्थापना : अप्रैल 2000,

व्यक्ति : तरूण तेजपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सम्पादक, अनिरूद्ध बहल व मैथ्यू सैमुअल, प्रमुख सहयोगी तथा रिपोर्टर ।

उपलब्धियाँ : तीन सनसनीखेज रहस्योद्घाटन

1. मनोज प्रभाकर के सहयोग से मैच फिक्सिंग प्रकरण से जुड़े खिलाड़ियों की कलई खोलना।
2. रक्षा दलाली प्रकरण।
3. सी.एन.जी. बसों की खरीददारी में शीला दीक्षित तथा दिल्ली के परिवहन मंत्री द्वारा दलाली खाने का मामला।

रक्षा दलाली प्रकरणः

**फर्जी कम्पनी : वेस्टएण्ड इण्टरनेशनल,**
**फर्जी उत्पाद : विशिष्ट थर्मल कैमरा,**
**फर्जी अधिकारी : अनिरूद्ध बहल व मैथ्यू सैमुअल**
**लगा समय : 8 महीने (अगस्त 2000 से मार्च 01तक)**
**खर्च : 21 लाख जिसमें से 10.8 लाख रूपये रिश्वत में दिये गये**
**दागी लोग : राजनेता, रक्षा अधिकारी, नौकरशाह**

तहलका प्रकरण से क्या उजागर हुआ ?

1. सत्ता से सम्बद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति पैसे के लिए कितना लालायित हैं।
2. रक्षा जैसे महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील मामलों से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि 1989 से रक्षा क्षेत्र में दलाली प्रतिबंधित है।
3. सेना में उच्च पदस्थ बिकने के लिए तैयार अनेक अधिकारियों को कितनी आसानी से पटाया जा सकता है। मतलब यह कार्य पड़ौसी गुप्तचर एजेंसी के एजेण्ट भी तो कर सकते है।
4. खुफिया तंत्र की लचर व्यवस्था। फर्जी कम्पनी के एजेण्ट 8 महीने तक रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विभागों तथा अधिकारियों के आस–पास मँडराते रहे और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी ।
5. एक स्वस्थ लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ–पत्रकारिता लोकतंत्र को साफ सुथरा रखनें में किस प्रकार अपना योगदान कर सकता हैं।

**गठित जाँचें :**

1. सेना द्वारा अपने अधिकारियों की भूमिका की जाँच के लिए ले.जनरल एस.के.जैन की अध्यक्षता में सैन्य अदालत गठित की गई।
2. सरकार ने पूरे प्रकरण की वस्तुस्थिति जानने के लिए न्यायमूर्ति के.बेंकटस्वामी की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया।

**मीडिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन**

पहले पाठक ;त्मंकमतेद्ध मीडिया को ढूँढ़ते थे क्योंकि उस समय मीडिया में गुणवत्ता थी और उनकी संख्या कम थी किन्तु आज तक प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अतः अब मीडिया ग्राहक ढूँढ़ती है, इस लिए मीडिया के लोग ग्राहकों की पसन्द की चीजें डालकर प्रस्तुतीकरण करते हैं। अब मीडिया का ध्यान अधिक से अधिक ग्राहक खीचनें का होता है अतः गुणवत्ता के स्थान पर मीडिया ने मनोरंजक, आकर्षक और अश्लील ;च्वदवहतंचीपबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत करने का रास्ता अपना लिया है। पहले मीडिया से जुड़े लोगों में लोकहितकारी उत्साह;डपेपवदंतल ंसद्ध होता था, अब उनमें अर्थलोलुपता की उत्कट अभिलाषा है। अब मीडिया सूचनापरक और ज्ञानपरक सामग्री की जगह प्रचारपरक सामग्री प्रस्तुत करने में ज्यादा रूचि रखती है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने व लाभ अर्जित करने के लिए मीडिया विज्ञापनों पर आश्रित है। पहले मीडिया सत्य समाचार प्रस्तुत करने में विश्वास रखती थी। अब ग्राहक व दर्शक संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कभी–कभी मीडिया खबरें थोपना ;प्उचवेमद्ध चाहती हैं।

**मीडिया की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता**

लोकतन्त्र के हित में मीडिया का स्वतन्त्र व निष्पक्ष होना अति आवश्यक है पर प्रायः ऐसा नहीं होता है। कुछ अखबार किसी ऐसे व्यक्ति के होते हैं जो किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़ा होता है, अतः इसका उद्देश्य यही रहेगा कि वह वही सामग्री छपने देगा जो उसके तो हित में हो पर विरोधी के लिए हानिकारक हो। कभी–कभी मीडिया का मालिक अपने संवाद–दाताओं व उपसंपादकों को यह हिदायत देता रहता है कि वे ऐसी सामग्री न छपने दें जिससे कि सरकार इससे नाराज हो जाय। इस समस्या का श्रेष्ठतम् उदाहरण वर्तमान विनिवेश मंत्री श्री अरूण शौरी जी हैं। सत्तर के दशक में एक खोजी पत्रकार के रूप में उनकी अन्तर्राष्ट्रीय छवि थी, उनके लेख प्रायः तत्कालीन सरकार की कुर्सी हिलाते रहते थे और उनके सम्पादकत्व काल में इण्डियन एक्सप्रेस की पाठक संख्या अधिकतम हो गयी थी पर ऐसे करिश्माई महान पत्रकार को इण्डियन एक्सप्रेस के मालिक स्वर्गीय रामनाथ गोयनका ने हटा दिया। जब किसी पत्रकार ने रामनाथ गोयनका से अरूण शौरी के हटाने का कारण पूछा तो उन्होनें जवाब दिया, ''अरूण शौरी का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, पर वे रेस के घोड़े हैं और हमारा अखबार रूपी ताँगा वे तोड़ देंगे ''

इस प्रकार हम देखते हैं कि अखबार के मालिकों के मन में सरकार से भय बना रहता है, इस कारण वे सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने से डरते हैं। कुछ अखबार वाले इस डर से सरकार के विरूद्ध नहीं लिखते कि सरकार के नाराज हो जाने पर उन्हें सरकारी विभागों से विज्ञापन नहीं मिलेंगे, अतः उनकी आय में वृद्धि नहीं होगी। कुछ समाचार पत्र गुण्डों और बदमाशों के डर से उनके कुकृत्यों के बारे में नहीं लिखना चाहते क्योंकि अभी तक इस कारण से कई पत्रकार अपनी जान गँवा चुके हैं। सरकार को चाहिए कि उच्च श्रेणी के खोजी पत्रकारों को आत्मरक्षा हेतु पिस्टल या रिवाल्वर उपलब्ध

ा कराए और यदि मुत में न दे सके तो एक तिहाई दाम लेकर उन्हें पिस्टल प्रदान करे। ईमानदार होते हुए भी कोई पत्रकार अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा, किंतु यदि उसके पास आत्मरक्षा के साधन हैं तो इसमें मनोबल भी बढ़ा रहेगा और वह निष्पक्षता से जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत कर सकता हैं।

सदियों से परतन्त्रता की मार झेलता हुआ भारतीय समाज राजनीतिक परतन्त्रता के अतिरिक्त रूढ़िवादी परम्परा, सामाजिक असहिष्णुता तथा आर्थिक असमानता व विपन्नता के कारण कतिपय पथ भ्रमित था। सत्ता के उच्च्य केन्द्रों से लेकर ग्रामीण स्तर तक कृत्रिम रूप से लोकतान्त्रिक संस्थाओं का निर्माण हमारे राजनेताओं ने आजादी के उत्साह में कर डाला। किन्तु शनैः शनैः यह बात स्पष्ट होने लगी कि लोकतान्त्रिक समाज व मानसिकता के बगैर लोकतंत्रीय शासन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। किसी भी देश के लोकतंत्रीय समाज की रचना के लिए वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परम आवश्यक है। सौभाग्य से हमारा देश उन गिने–चुने देशों में से एक है जहाँ पर इस तरह की लोकतंत्रीय संस्थाएं जीवित हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मीडिया की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मीडिया की स्वतन्त्रता भी परिलक्षित होती है।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की आधारशिला है। भारतीय नागरिकों को यह महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड एक द्वारा दिया गया है। किंतु यह अधिकार पूर्णतया निरपेक्ष ;।इवसनजमद्ध नहीं है। अनुच्छेद 19 के ही खण्ड दो में इस अधिकार पर युक्तियुक्त ;त्मेंवदंइसमद्ध प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई बात उक्त खण्ड एक द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, राज्यों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, लोक शिष्टाचार के हित में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 19 में से प्रेस की स्वतन्त्रता का अलग से उल्लेख न किए जाने की कड़ी आलोचना की जाती है। संविधान सभा में भी इसके लिए आवाज उठाई गयी थी। प्रेस की स्वतन्त्रता का अलग से उल्लेख न करने के पक्ष में संविधान निर्माताओं ने दो तर्क दिए। प्रथम, व्यक्ति के अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय में मीडिया स्वातन्त्रय सन्निहित है। वस्तुतः अभिव्यक्ति पद में समाचार–संचार के सभी साधनों तथा रेडियों, टेलीविजन व मुद्रित सामग्री आदि का समावेश है। द्वितीय तर्क है कि संविधान का यह भाग नागरिकों के मूल अधिकारों की व्याख्या करता है और मीडिया नागरिक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती। फिर भी संविधान सभा में डा0 भीमराव अम्बेदकर ने कहा था, ''प्रेस पर वे सभी निर्बन्धन (Restrietion) लागू होंगे जो एक नागरिक पर लागू होते हैं।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया पर कहीं संविधान के प्रतिबन्ध लागू हैं तो कहीं गुण्डे बदमाशों का प्रतिबन्ध लागू है तथा कहीं पर सरकार के नाराज हो जाने का डर रूपी प्रतिबनध लागू है पर इन सबके बावजूद मीडिया ने लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने का स्तुत्य प्रयास किया हैं।

मीडिया को चाहिए कि सभी प्रतिबन्धों एवं वर्जनाओं के बावजूद वे यथा सम्भव सत्य को जनता के सामने रखने का प्रयास करें और इस बात को ध्यान में रखें किः–

'' तलवार की धार से केवल कुछ लोग घायल हो सकते हैं किन्तु लेखनी से निकली हुई शब्द रूपी गोली लाखों लोगों को हलाक कर सकती हैं।''

अर्थात् मीडिया के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे तथ्यों का प्रकाशन न करें जो अपराध उददीपन का कारण बनें। सूचना पाने का अधिकार विधेयक (Right to Information Bill) संसद द्वारा पारित हो गया इससे तो मीडिया के हाथ और मजबूत बनेंगे और वह लोकतन्त्र का और सशक्त प्रहरी बनकर उभरेगा ।

**सन्दर्भ**

1 जनसंचार विष्वकोष (2007) प्रो0 रमेष जैन, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, जयपुर
2 प्रेस कानून (1985) डॉ0 संजीव भानावत, सिद्धश्री प्रकाषन, जयपुर
3 इलेक्ट्रोनिक मीडीया (2000) डॉ0 सुधीर सोनी यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन्स जयपुर
4 सहारा समय
5 हसं अंक – पत्रकारिता विषेश
6 जनसत्ता
7 परीक्षा मन्थन (पत्रिका)
8 समकालीन भारत और जनसंचार माध्यम (2006) डॉ0 सुधीर सोनी यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन्स जयपुर